रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 12.

Fr. 26.2.88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 623] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 1987/अग्रहायण 20, 1909
No. 623] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 1987/AGRAHAYANA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1987

आदेश

का० आ० 1079(अ) :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—

1 (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1987 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनुसूची-1 में, भाग-क, उर्वरक के विनिर्देश शीर्षक के अधीन :—

(क) 1(क), ऋजु नाइट्रोजनी उर्वरक उप-शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 4, अमोनियम क्लोराइड में की प्रविष्टि (4) का लोप किया जाएगा।

(ख) 1(ङ) एन०पी०के० उर्वरक उप-शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 5, एन०पी०के० (14-35-14) में—

(1) (2) भार के आधार पर अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन का प्रतिशत, न्यूनतम प्रविष्टि के सामने "12.0" अंकों के स्थान पर "14.0" अंक रखे जाएंगे।

(2) प्रविष्टि (3) का लोप किया जाएगा।

[सं० 1-7/87-उर्वरक विधि]

जी० रंगाराव, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985, सा० का० नि० 758 (अ) तारीख 25 सितम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनुसूची 1, भाग "क" को निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :—

(1) सा०का०नि० 201(अ) तारीख 14 फरवरी, 1986.

(2) सा०का०नि० 1160(अ) तारीख 21 अक्तूबर, 1986.

(3) का०आ० 822(अ) तारीख 14 सितम्बर, 1987.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 11th December, 1987

ORDER

S.O. 1079(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby

makes the following order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1985, namely :—

1. (1) This Order may be called Fertiliser (Control) (Second Amendment) Order, 1987.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Fertiliser (Control) Order, 1985, under the heading Part A. Specifications of fertilisers :—

(a) under sub-heading 1(a). Straight Nitrogenous Fertilisers, in serial number 4. Ammonium Chloride, entry (iv) shall be omitted;

(b) under sub-heading 1(e) N.P.K. Fertiliser, in serial number 5. N.P.K. (14-35-14)—

(i) against entry (ii) Nitrogen in ammoniacal form per cent by weight, minimum , for the figure "12.0" figure "14.0" shall be substituted:

(ii) entry (iii) shall be omitted.

[No. 1-7.87-Fert.Law]

G. RANGA RAO, Jt. Secy.

Note : The Fertiliser (Control) Order, 1985 was published vide G.S.R. 758(E) dated the 25th September, 1985.

2. Schedule I, Part A of the Fertiliser (Control) Order, 1985 was amended vide :—

(i) G.S.R. 201(E) dated 14th February, 1986.

(ii) G.S.R. 1160(E) dated 21st October, 1986.

(iii) S.O. 822(E) dated 14th September, 1987.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987